मु .नं. 25/2016 चौथी बनाम मकना

08.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थीया ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा बिजरोल खेड़ा पटवार हल्का बिजरोल खेड़ा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 180 रकबा 1.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 1.5 हैक्टयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 2.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 571 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 585 रकबा 2.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 588 रकबा 6.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 619 रकबा 3.68 हैक्टयर कुल रकबा 20.09 हैक्टयर भूमि प्रार्थीया की पैतृक एवं कदीमी कब्जा काश्त की आई हुई है। उक्त आराजी पूर्व में मेरे पिता करमी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी तथा उनके फौत होने से पश्चात मैं प्रार्थीया एक मात्र विधि वारिश थे। बावजूद इसके अप्रार्थी संख्या एक व दो न राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर फर्जी रूप से करमी के नाम दर्ज समस्त राजस्व आराजी में अकेले मकना का नाम करमी का गोद पुत्र बता कर दर्ज कर दिया। जबकि वास्त में ऐसा कोई गोद नामा निष्पादित हुआ ही नही। अप्रार्थीगण ने मुझे वादग्रस्त आराजी से डंडे के बल पर बेदखल करने तथा वादग्रस्त आराजी अन्य किसी बदमाश प्रवृति के व्यक्ति को बैचान करने की धमकी दी इसलिए उन्हें जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने बहस में निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया करमी की जायंदा पुत्री हो, ऐसा कोई दस्तावेज सबूत वर्तमान में अपने वाद पत्र, प्रार्थना पत्र के समर्थन में पेश नही किया है। वर्तमान में नर्मदा नहर एवं भारतमाला प्रोजेक्ट की वजह से क्षेत्र में जमीनों की कीमते बढ़ने के कारण प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 3 से 7 से मिलावट कर मेरी जमीन हड़प करने के उद्वेश्य से हस्तगत प्रार्थना पत्र व दावा बेबुनियाद पेश किया है। प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझ अप्रार्थी संख्या 1 को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसका आंकलन कतई द्रव्यो में संभव नही है। जो काबिल खारिज है।

हमनें वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा बिजरोल खेड़ा पटवार हल्का बिजरोल खेड़ा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 180 रकबा 1.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 213 रकबा 1.5 हैक्टयर, खसरा नम्बर 563 रकबा 2.72 हैक्टयर, खसरा नम्बर 564 रकबा 1.53 हैक्टयर, खसरा नम्बर 571 रकबा 1.00 हैक्टयर, खसरा नम्बर 585 रकबा 2.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 588 रकबा 6.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 619 रकबा 3.68 हैक्टयर कुल रकबा 20.09 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.10.17 11:53:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner